

बिहार सरकार

कृषि विभाग

Mail/Fax

पत्र संख्या-3/कृ०बजट आवंटन-28/2014-163 (आवंटन)/कृ०, पटना, दिनांक 14-11-2014  
प्रेषक,

रामजी सिंह,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, मधुबनी/खगड़िया।

विषय : खरीफ 2014 में अनीयमित मानसून/बाढ़/ सुखे जैसी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर वर्ष 2014-15 में सिचाई के लिए डिजल अनुदान हेतु 769.06 करोड़ रुपये तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए 16.18 करोड़ रुपये कुल 785.24 करोड़ रुपये (सात अरब पचासी करोड़ चौबीस लाख रुपये) की लागत पर कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन व्यय की स्वीकृति तथा इसके अधीन तत्काल अनुसूचित जाति के लिए 5152.72 लाख रुपये (एकावन करोड़ बावन लाख बहत्तर हजार रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप तत्काल व्यय हेतु कुल ₹7,09,750 (सात लाख नौ हजार सात सौ पचास रु० मात्र) की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या-3158 दिनांक-15.07.2014 के द्वारा खरीफ 2014 में अकनयीमत मानसून/बाढ़/ सुखे जैसी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर वर्ष 2014-15 में सिचाई के लिए डिजल अनुदान हेतु 769.06 करोड़ रुपये तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए 16.18 करोड़ रुपये कुल 785.24 करोड़ रुपये (सात अरब पचासी करोड़ चौबीस लाख रुपये) की लागत पर कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन व्यय की स्वीकृति तथा इसके अधीन तत्काल अनुसूचित जाति के लिए 5152.72 लाख रुपये (एकावन करोड़ बावन लाख बहत्तर हजार रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। तत्काल व्यय हेतु कुल ₹7,09,750 (सात लाख नौ हजार सात सौ पचास रु० मात्र) संलग्न विवरणी के अनुसार राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹7,09,750 (सात लाख नौ हजार सात सौ पचास रु० मात्र) का व्यय बजटशीर्ष- 2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना -मांग सं०-1-उपशीर्ष-0125-बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना-विपत्र कोड -P2401007890125, विषयशीर्ष-33 01-सब्सिडी में वित्तीय वर्ष, 2014-15 के लिए उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-6720 वि० (2) दिनांक -25.07.2014 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

सुतो

विश्वासभाजन

(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।


ज्ञापांक

163 (आवृत्त)

/कृ0, पटना, दिनांक 14-11-2014

प्रतिलिपि : विवरणी सहित महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. विवरणी सहित संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक


163 (आवृत्त)

/कृ0, पटना, दिनांक 14-11-2014

प्रतिलिपि : वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/कृषि निदेशक/निदेशक, पी0 पी0 एम0, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक, (योजना) कृषि विभाग बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/उप कृषि निदेशक, (बीज) कृषि विभाग, बिहार, पटना/नोडल पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, कृषि विभाग-सह-उप कृषि निदेशक, (सांख्यिकी)/प्रशाखा पदाधिकारी योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को विवरणी सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. विवरणी सहित उप कृषि निदेशक, (सूचना), बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।



  
सरकार के संयुक्त सचिव।

खरीफ 2014 में अनियमित मानसून/बाढ़/सुखे जैसी आपाककालिन स्थिति उत्पन्न होने पर वर्ष 2014-15 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान हेतु (अनुसूचित जाति के लाभुकों) विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3158 दिनांक-15.07.2014का आवंटन विवरणी।

विपत्र कोड-P2401007890125

(राशि रूपये में)

क्रम सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	स्वीकृत राशि	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1	जिला पदाधिकारी, मधुबनी	2,05,70,000	82,28,000	3,08,000
2	जिला पदाधिकारी, खगड़िया	57,66,000	23,06,400	4,01,750
	कुल	2,63,36,000	1,05,34,400	7,09,750
(कुल-सात लाख नौ हजार सात सौ पचास रूपये मात्र)।				

प्रमाण

(15/10/14)  
(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त  
सचिव  
कृषि विभाग, बिहार,  
पटना।